

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक— ५०९ / FP/UK/ROAD/9557/2015 :देहरादून:दिनांक: १० अगस्त, 2015

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय—एफ०आर०आई०, देहरादून।

विषय:— जनपद—अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से बलमा—बद्धूड़ा—ठानामटेना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 10.0688 हेठो वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:— आर०आई०सी० की बैठक दिनांक 22-07-2015

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर आहूत आर०आई०सी० दिनांक 22.07.2015 की बैठक में लागत लाभ विश्लेषण के Annexure-VI(B) एवं एन०पी०वी० की धनराशि के प्रपत्र को ठीक करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा इस कार्यालय को 02 बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध करायी गई एन०पी०वी० की धनराशि का प्रमाण—पत्र एवं लागत लाभ विश्लेषण का प्रमाण—पत्र संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न:—यथोपरि।

मवदीय,  
*Jefur*

(एस०टी०एस० लेखा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या :— ५०९ / FP/UK/ROAD/8224/2014 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

*Jefur*

(एस०टी०एस० लेखा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

८८

file NO. 9557 - 2015



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा

ie Executive Engineer, PWD, Almora Uttarakhand

Phone/ Fax:- 05962-23003 E-mail: eepdalmora@rediff.com

Web-<http://govt.ua.nic.in/pwd>

पत्रांक 2035 / 50सी

पंजीकृत  
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नदी जपानी  
दन संरक्षण, नदी रखेदारी विभाग उत्तराखण्ड

पंजीकृत  
पत्रांक 21  
दिनांक 21/8/15

दिनांक 26 जुलाई 2015

पत्रांक 21 AUG 2015

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फौरेस्ट कॉलौनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(21)

विषय: टकोली बैण्ड से बलमा-बड्यूड़ा-ठाना मटेना तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 10.0688 है 0 वन भूमि  
का लो०नी०वि० को हस्तान्तरण।

सन्दर्भ: आर० ई० सी० की बैठक दि० 22.07.2015 में दिये गये निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग में आहूत आर०ई०सी दि० 22.07.2015 की बैठक में लागत लाभ विश्लेषण के Annexure-VI(B) पपत्र व एन०पी०वि० की धनराशि के पपत्र को ठीक करने हेतु निर्देश दिये गये थे। उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्त प्रपत्र तैयार कर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

अतः अनुरोध है कि प्रस्तावों में सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।

संलग्न- 1. एन०पी०वि० की धनराशि का प्रमाण पत्र 1न०  
2. लागत लाभ विश्लेषण का पपत्र 1न०

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नी०वि०,  
अल्मोड़ा।

पत्रांक:- / 50सी

तददिनोंक

प्रतिलिपि- 1 प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न- 1. एन०पी०वि० की धनराशि का प्रमाण पत्र 1न०  
2. लागत लाभ विश्लेषण का पपत्र 1न०

अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नी०वि०,  
अल्मोड़ा।

मी बड़ी अप्रत्यापना  
20 मई 2015/ गा. 3.

### Annexure-VI (B)

Name of Project:- जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से बलमा-बड़यूड़ा-ठाना-मटेना तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई-17.00 किमी।

#### Parameter for Evaluation of loss of Forests :-

#### Nature of Proposal :-

SL No.	Parameters	Roads, Tr. lines & Raliwayline
1	2	3
1	Loss of Value of timber, fuelwood and minor forest produce on an annual basis, including loss of man hours per annum of people who derived their livelihood and wage from the harvest of these commodities	17.00 किमी। लम्बाई में वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से कालान्तर में भरपाई हो जायेगी।
2	Loss of animals husbandry productivity including loss of fodder	5.2312 है। नाप भूमि में चारे की क्षति नगण्य है।
3	Cost of human resettlement	कोई बरती विस्थापित नहीं हो रही है।
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Buildings, Schools, Dispensaries, Electric lines, Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.	अवरक्षणा सुविधा का स्थानान्तरण न होने से वन भूमि की आवश्यकता शून्य है।
5	Environmental losses;(Soil erosion, effect on hydrological cycle, wildlife habitat, microclimate upsetting of ecological balance.)	भू-वैज्ञानिक की आख्या के अनुसार भूस्खलन क्षेत्र नहीं है। Environmental loss $10.0688 \times 0.4 \times 126.74 = 510.44$ Lakh for 50 year
6	Suffering to oustees	Nil

सहायक अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०  
अल्मोड़ा।

अधिकारी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि० 2107115  
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:- जग्षद अंडमान और शंख द्वीप से कलास.  
 बड़प्रधा-64 भैंसा तक नियोजित वन विकास। प्रभागित  
 एनोपी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एनोपी०वी० की देयता निम्नानुसार है :—

1. ईको-कलास श्रेणी.....IV
2. हरियाली का घनत्व.....0.4
3. एनोपी०वी० की दर प्रति हेतु .....165/000 = 1
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल.....10.0688 Ha.
5. कुल देय एनोपी०वी० की धनराशि.....165/00136 = 1

*(Signature)*  
 प्रभागीय वनाधिकारी  
 प्रभागीय वनाधिकारी  
 धरमोदा,

नोट :—उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।